

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एन-139/2011)/अलेसे-11/25355-62 दिनांक :- 14.01.2016

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.3 (ख) (एन-219/2011)/अलेसे-11/25166-71 दिनांक 07.01.2016 के द्वारा श्री निर्मल कुमार जैन, स.ले.अ.-11 (लिंग नं. 9443) को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 14.12.2015 से अग्रिम आदेश तक निलंबित कर मुख्यालय कोषाधिकारी, कोटा किया गया था। इनका मुख्यालय कोटा के स्थान पर कोषाधिकारी, टोंक को किया जाता है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एन-139/2011)/अलेसे-11/25355-62 दिनांक :- 14.01.16

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलेक्टर, बून्दी / टोंक।
2. कोषाधिकारी, बून्दी / कोटा / टोंक।
3. उपकोषाधिकारी, इन्द्रगढ़ (बून्दी)।
4. उपनिदेशक ए.सी.पी. को वेबसाइट अपलोड / पी.आई.एस. हेतु।
5. श्री निर्मल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी-11 कार्यालय उपकोषाधिकारी इन्द्रगढ़, बून्दी।
6. पदस्थापन सीट / विधि एवं जॉच / गोपनीय शाखा / निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)